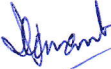


प्रमाण पत्र

मैं प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरुप प्रतिपूरक वनीकरण के लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु जो शर्तें भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लगाई जायेगी मैं उसका अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

C.S.


इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि०

कानपुर (रिटेल) टेरिटरी
मुख्य प्रबंधक (खुदरा विक्रय) / Ch. Manager (R/S)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड / Indian Oil Corporation Limited
कानपुर मण्डलीय कार्यालय पनकी, कानपुर-208 020
Kanpur Divisional Office Panki, Kanpur-208 020


प्रभागीय वनाधिकारी
कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात
कानपुर-देहात